—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 140/2023

उनवान

प्रकाश सिंह पुत्र लादू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम कालेडी, नसीराबाद
——प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
——अप्रार्थी :— जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 20.1.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.02 व अन्य भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.02 के वंर्किग खसरा नम्बर 1073 थे। वंर्किग खसरा नम्बर 1073 की किस्म साबिक रिकार्ड में चाह अंकित थी किन्तु हाल खसरा नम्बर 1473 की किस्म चाही 3 अंकित कर दी। अतः आराजी मुतनाजा की किस्म चाही 3 के स्थान पर पूर्व अनुसार चाह अंकित की जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की किस्म चाही 3 के स्थान पर चाह अंकित करवाना चाहता है। किस्म दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होते है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम व प.म. कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.02 व अन्य भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.02 के वंर्किग खसरा नम्बर 1073 थे। वंर्किग खसरा नम्बर 1073 की किस्म साबिक रिकार्ड में चाह अंकित थी किन्तु हाल खसरा नम्बर 1473 की किस्म चाही 3 अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में भ्सूमि की अंकित किस्म गलत है, किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त मौके के अनुसार सर्वे कर भूमि की किस्म चाही 3 ... अंकित की है। वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मौके पर चाह होने बाबत कोई प्रमाण प्रार्थी द्वारा पेश नही किये गये है। बंदोबस्त विभाग द्वारा भूमि के मालिकाना हक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया है। भूमि की किस्म मौका स्थिति अनुसार परिवर्तित करने का अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को है। अतः वादग्रस्त भूमि की किस्म परिवर्तन करना न्यायोचित नही है।

उक्तानुसार ग्राम कानाखेडी के हाल खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.02 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested